

फा.सं. ए.45011/02/2023-सीएचएस. II
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare

निर्माण भवन, नईदिल्ली -110 011
NirmanBhawan, New Delhi- 110 011
Dated: 16.05.2023

सीएचएस की सभी संबंधित इकाइयां,
(संलग्न मानक सूची के अनुसार)
(सूची इस मंत्रालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जा रही है)

विषय : जनरल ड्यूटी मेडिकल अधिकारियों (जी.डी.एम.ओ.) केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) के उप-संवर्ग के अंतरगत, उनकी दिनांक 01.01.2023 तक की ड्राफ्ट सिविल सूची संलग्न है ।


महोदया / महोदया,

मुझे उपरोक्त उद्धृत विषय के सन्दर्भ में उल्लेख करने का यह निर्देश है कि सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग के अधिकारियों की संयुक्त सिविल सूची केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) 01.01.2023 को (वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर तक) तैयार किया गया है और उसी को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है ।

2. सीएचएस की सभी संबंधित इकाइयों के प्रमुखों से अनुरोध है कि वे मिलान करें और पता करें की संबंधित अधिकारियों का विवरण उनके पास उपलब्ध रिकॉर्ड सही है या उसमें कोई भी यदि विसंगति पाई जाती है, तो इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर इस मंत्रालय के ध्यान में लाया जा सकता है, अन्यथा ड्राफ्ट सिविल सूची को सही मान लिया जाएगा । इसके अतिरिक्त पत्र को प्रसारित करने का भी अनुरोध किया है सीएचएस के सभी संबंधित जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी और उन लोगों के बीच भी जो अध्ययन अवकाश/अन्य प्रकार के अवकाश/प्रतिनियुक्ति/विदेश असाइनमेंट पर हैं उनके वर्तमान पते या तथ्यों और आंकड़ों की शुद्धता की जाँच करना ।

3. संबंधित अधिकारियों से भी अनुरोध है कि इस पत्र जारी करने के 30 दिनों के भीतर यदि ड्राफ्ट सिविल सूची में यदि कोई त्रुटियाँ, चूक और आपत्तियां कोई हो तो इस मंत्रालय को सूचना दें । अन्यथा, सिविल सूची के मसौदे में दिए गए विवरण को सही माना जाएगा और उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें कोई संचार **ईमेल sochs2-mohfw@gov.in** के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।

आपका विश्वासी,


16.05.2023

(दिलीप कुमार साहू)
उप – सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन - 011-2306 2666